सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# फर्द अहकाम
## (नियम 26)
## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

**शिवलाल बनाम रामगोपाल आदि**

**किस्म मुकदमा 225 आरटीए** **नम्बर 07 / 18**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.1.18 | अभिभाषक अपीलांट श्री नरसाराम जाखड़ व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफर से श्री सीताराम बिश्नोई उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 29–01–2018 को पेश हो। | |
| 29.1.18 | अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपस्थिति। विद्वान अभिभाषक अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम जांगलू के खसरा नम्बर 465 रकबा 41.98 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 रकबा 1.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 468 रकबा 12.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 26.94 हेक्टर कुल तादादी 83.18 हेक्टर में से 6.93 हेक्टर भूमि का अपीलांट/प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर उसका कब्ज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्ट्रेनजर परचेजर है। जिनका वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। दौराने अपील अपीलांट/प्रार्थी को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया अथवा रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त खातेदारी रकबे में जबरदस्ती प्रवेश किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट/प्रार्थी की खातेदारी रकबा है जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में साबित है।<br><br>अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही वर्ष 2007 से दावा चला आ रहा है। जिसमें अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के मौके व | |

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रकरणों में समान पक्षकार व समान भूमि होने से प्रकरण रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तथ्य को छिपाते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा कन्सिलमेंट ऑफ फैक्ट किया गा है। चूंकि अपीलांट/प्रार्थी वादगत् भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त कर रहा है व वादगत् भूमि अपीलांट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट/प्रार्थी को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति रूपयों से नहीं की जा सकती।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता है। लिहाजा एक को–टिनेन्ट दूसरे टिनेन्ट के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि के खातेदार टीनेन्ट है व खातेदार टीनेन्ट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना स्वीकार करते हुए आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 148, आरआरडी 1993 पेज 650,डीएनजे 2009 पार्ट I राज. पेज 224 व डीएमजे 2009 पार्ट II राज. पेज 1052 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष आदेश दिनांक 04–01–2018 की अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश की श्रेणी का आदेश है जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट की अपील इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपील में सुनवाई की दिनांक 16–02–2018 नियत है। यदि अपीलांट को कोई उजर एतराज हो तो वे उक्त तिथि को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर व्यक्त कर सकते है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट का कथन कि वे स्ट्रेन्जर परचेजर है स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि रिकार्डेड खातेदार से खरीदशुदा भूमि है। अतः रेस्पोडेन्ट भी वादगत् भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बोनाफाईड परचेजर होने के कारण रिकार्डेड खातेदार हो गये है। अदालत मातहत के समक्ष अन्य कोई दावा चल रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए तथ्यों को छिपाने की बात तब होती जब मुझे इस बात की जानकारी होती। चूंकि अदालत मातहत के समक्ष दावा को–टिनेन्ट के मध्य विभाजन का चल रहा है एवं अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है जिसमें किसी भी पक्षकारों के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादगत् भूमि के सह–खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि वर्तमान में अविभाजित भूमि है उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति कारित होगी। चूंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एक अंतरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है व कानूनन अंतरिम आदेश की अपील धारा 225 के तहत मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए अपीलांट/प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2014 पेज 204 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 04–01–2018 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम जांगलू के खसरा नम्बर 465 रकबा 41.98 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 रकबा 1.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 468 रकबा 12.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 26.94 हेक्टर कुल तादादी 83.18 हेक्टर में से 6.93 हेक्टर भूमि के मौके की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है। चूंकि आदेश जैर अपील आगामी आदेश तक के लिए पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश की श्रेणी का आदेश स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अतः आदेश जैर अपील की अपील धारा 225 के तहत संधारण योग्य है।

यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादगत् भूमि के बोनाफाईड परचेजर है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि मोहनीदेवी से क्रयशुदा भूमि है। चूंकि वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष दावा जैरकार है उक्त दावें में आराजी जैर का विभाजन व अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों निर्धारण होना है।

प्रकरण में यह तथ्य भी उभर कर सामने आया है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही वादगत् भूमि के संबंध में मामला अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर डीएनजे 2009 पार्ट I पेज 224 जिसमें अभिलिखित है कि Civil Procedure Code, 1908 Sec. 10 Stay of subsequent suit- subsequent suit involves substantially the same issue as involved in present suit filed by petitioner plaintiff-Relief claimed by parties in both suits are same also-Held, Court below was not justified in rejecting application filed u/s 10 cpc proceedings in subsequent suit pending before court below remain stayed. उक्त नजीर मामलें में पूर्णतया चस्पा होती है।

चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादगत् भूमि के बोनाफाईड परचेजर है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबन्द नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–01–2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।